# अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए
# मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
## (वर्ष 2013–14 से प्रभावी)

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

# वि-नय-सूची


| क्रम सं. | मद | पृ-ठ सं. |
|---|---|---|
| 1. | पृ-ठभूमि | 1 |
| 2. | उद्देश्य | 1 |
| 3. | योजना का क्षेत्र | 1 |
| 4. | पात्रता | 1 |
| 5. | वितरण | 1 |
| 6. | छात्राओं के लिए निर्धारण | 1 |
| 7. | चयन प्रक्रिया | 2 |
| 8. | अवधि | 2 |
| 9. | छात्रवृत्ति की दर | 2-3 |
| 10. | कार्यान्वयन अभिकरणें | 3 |
| 11. | छात्रवृत्ति के लिए शर्तें | 3-5 |
| 12. | प्रशासनिक व्यय | 5 |
| 13. | छात्रवृत्ति का नवीकरण | 5 |
| 14. | योजना की घो-णा | 5 |
| 15. | आवेदन प्रक्रिया | 6 |
| 16. | वित्तीय सहायता का प्रतिमान | 6 |
| 17. | निगरानी और पारदर्शिता | 6 |
| 18. | मूल्यांकन | 6 |

# अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए 'मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति' की योजना

## 1. पृ-ठभूमिः

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम जून, 2006 में घोनित किया गया था। इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की एक योजना कार्यान्वित करने का प्रावधान है।

## 2. उद्देश्यः

इस योजना का उद्देश्य अल्पंसख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना है ताकि उन्हें उच्च शिक्षा में अच्छे अवसर, उच्च शिक्षा में उनकी संख्या और उनकी नियोजिता को बढ़ाया जा सके।

## 3. योजना का क्षेत्रः

यह छात्रवृत्ति, सरकार के ऐसे आवासीय संस्थानों या चयनित पात्र निजी संस्थानों जिन्हें संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा एक पारदर्शी तरीके से अधिसूचित किया गया हो, सहित भारत में किसी सरकारी या निजी उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रदान की जानी है। यह कक्षा 11 और 12 स्तर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को भी कवर करेगी जो रा-ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परि-ाद के साथ संबद्ध हैं।

## 4. पात्रताः

ये छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक प्राप्त न किए हों, या उसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो और उनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्-िक आय 2 लाख रु. से अधिक न हो।

## 5. वितरण

रा-ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के अंतर्गत मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच छात्रवृत्रियों का वितरण, व-र्ा 2001 की जनगणना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उक्त अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा।

## 6. छात्राओं के लिए निर्धारण

30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित की जाएंगी। यदि पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राएं उपलब्ध नहीं होंगी तो शे-ा निर्धारित छात्रवृत्तियों को पात्र छात्रों को प्रदान किया जाएगा।

## 7. चयन प्रक्रिया

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति के विपरीत, अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या कम व सीमित है। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के छात्रों जिनकी न्यूनतम आय होगी, उन्हें आरोही क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी। नए आवेदनों पर विचार करने से पहले नवीकरण के आवेदनों का निपटान किया जाएगा।

## 8. अवधि

छात्रवृत्ति पूरे पाठ्यक्रम के लिए प्रदान की जाएगी। तथापि अनुरक्षण भत्ता एक शैक्षिक व-र् में 10 मास से अधिक अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा।

## 9. छात्रवृत्ति की दर

प्रवेश और पाठ्यक्रम/शिक्षण शुल्क तथा अनुरक्षण भत्ते के लिए निम्नानुसार, संबंधित मद के सामने दर्शाई गई अधिकतम सीमा की शर्त पर, वास्तविक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

**(राशि रुपए में)**

| क्रम सं. | मद | हॉस्टलवासी* | दिवास्कॉलर |
|---|---|---|---|
| 1. | कक्षा 11 और 12 कक्षा के लिए दाखिला तथा शिक्षण शुल्क | वास्तविक, अधिकतम 7,000 रु. प्रतिव-र् | वास्तविक, अधिकतम 7,000 रु. प्रतिव-र् |
| 2. | कक्षा 11 और 12 के स्तर के तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला एवं पाठ्यक्रम/ शिक्षण शुल्क (कच्चे माल आदि के लिए लिया गया शुल्क/प्रभार सहित) | वास्तविक, अधिकतम 10,000रु. प्रतिव-र् | वास्तविक, अधिकतम 10,000 रु. प्रतिव-र् |
| 3. | अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दाखिला तथा शिक्षण शुल्क | वास्तविक, अधिकतम 3,000 रु. प्रतिव-र् | वास्तविक, अधिकतम 3,000 रु. प्रतिव-र् |
| 4. | एक शैक्षिक व-र् में केवल 10 मास के लिए अनुरक्षण भत्ता (अध्ययन सामग्री आदि के लिए खर्च शामिल है) | | |
| | (i) कक्षा 11 और 12 और इस स्तर के तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों सहित | 380 रु. प्रतिमास | 230 रु. प्रतिमास |
| | (ii) अंडर ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम। | 570 रु. प्रतिमास | 300 रु. प्रतिमास |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (iii) एम.फिल और पीएच.डी (यह उन शोध कर्ताओं के लिए है जिन्हें विश्वविद्यालय या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई फैलोशिप प्रदान नहीं की जाती है) | 1200 रु. प्रतिमास | 550 रु. प्रतिमास |

*हॉस्टलवासियों में वे छात्र शामिल हैं जो संबंधित स्कूल/संस्थान के हॉस्टल में नहीं रहते हैं लेकिन पेंइग गेस्ट के रूप में रहते हैं या नगरों/कस्बों में किराए के मकान में रहते हैं और वे ऐसे स्थान नहीं हैं जहां उनके माता-पिता रहते हैं।

## 10 कार्यान्वयन अभिकरणें

यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

## 11 छात्रवृत्ति के लिए शर्तें

(i) ये छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक प्राप्त न किए हों, या उसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो और उनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रु. से अधिक न हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति के विपरीत, अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या नियत है और इसलिए चयन हेतु प्राथमिकता निर्धारित की गई है। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के छात्रों जिनकी न्यूनतम आय होगी, उन्हें आरोही क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी। नए आवेदनों पर विचार करने से पहले नवीकरण के आवेदनों को निपटाया जाएगा।

(ii) इस छात्रवृत्ति को बंद कर दिया जाएगा यदि छात्र पिछली अंतिम परीक्षा में 50% अंक या समतुल्य ग्रेड प्राप्त करने में असफल रहता है। ये छात्रवृत्ति, प्रमाण पत्र/डिग्री/एम. फिल डिग्री/डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने में लगने वाली सामान्य अवधि से अधिक समय के लिए प्रदान नहीं की जाएगी।

(iii) ये छात्रवृत्ति एक परिवार में दो से अधिक बच्चों को नहीं दी जाएगी।

(iv) छात्र को उपस्थिति में नियमित होना चाहिए जिसके लिए स्कूल/कॉलेज/ विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानदण्ड का निर्धारण किया जाएगा।

(v) स्वरोजगार में लगे माता-पिता/अभिभावक के लिए आय का प्रमाण पत्र गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र के द्वारा स्व-प्रमाणन आधार पर तथा रोजगार में लगे माता-पिता/अभिभावक के लिए नियोक्ता से प्राप्त होना चाहिए।

(vi) स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय, स्थाई पते तथा माता-पिता के पते के आधार पर छात्र के बाहरी होने और संबंधित संस्थान के हॉस्टल में न रहने के दावे को प्रमाणित करेंगे।

(vii) एक संस्थान से दूसरे संस्थान में छात्र का आव्रजन शैक्षिक व-र्ा के दौरान, अपवादजन्य परिस्थियों को छोड़कर छात्र के शैक्षिक भवि-य के हित में प्रायः अनुमन्य नहीं होगी।

(viii) यदि कोई छात्र, छात्रवृत्ति की कोई अन्य निबंधन व शर्त का उल्लंघन करता है तो छात्रवृत्ति को निलम्बित या रद्द किया जा सकता है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी सीधे इसको रद्द कर सकते हैं यदि वे योजना को शासित करने वाले विनियमों के उल्लंघन के कारणों से संतु-ट हैं।

(ix) यदि कोई छात्र गलत विवरण/प्रमाण पत्र द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करता हुआ पाया जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी और दी गई छात्रवृत्ति की रा़शि को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विवेकाधिकार से वसूल किया जाएगा।

(x) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियों का संसाधन और स्वीकृति के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करेंगे।

(xi) पाठ्यक्रम शुल्क/शिक्षण शुल्क को स्कूल/कॉलेज/संस्थान के बैंक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। इसे बैंकों के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक तरीके से अंतरित करने के प्रयास किए जाएंगे।

(xii) अनुरक्षण भत्ते को छात्र के बैंक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। इसे बैंकों के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक तरीके से अंतरित करने के प्रयास किए जाएंगे।

(xiii) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, मंत्रालय से प्राप्त निधियों से संबंधित एक अलग खाता और अभिलेख रखेंगे और इसका मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा या मंत्रालय द्वारा पदनामित किसी अन्य अभिकरण द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।

(xiv) इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले छात्र को, इसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य छात्रवृति योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xv) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जो अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से भी संबंधित हो सकते हैं, इसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त न करें और केवल एक ही स्रोत से इसे प्राप्त करें, ऐसी छात्रवृत्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले विभागों की एक समिति का गठन करेंगे।

(xvi) बाद के व-र्ों में छात्रवृत्तियों के वितरण हेतु धन राशि तभी जारी की जाएगी जब पिछले व-र्ा जारी की गई धन राशि को उपयोग में लाए जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए।

(xvii) इस योजना का मंत्रालय या मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य अभिकरण द्वारा नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन अध्ययन की लागत, योजना के प्रावधान के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी।

(xviii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों के सभी संगतपूर्ण ब्यौरों को अपनी वेबसाइट पर रखेंगे।

(xix) इन विनियमों को भारत सरकार के विवेकाधिकार से किसी भी समय परिवर्तित किया जा सकता है।

## 12. प्रशासनिक व्यय

यह स्कीम व-र्-दर-व-र् कार्यान्वित रहनी है, इसलिए कम्प्यूटर में प्रवि-ट किए जाने वाले और कार्य में लाए जाने वाले आंकड़ों की मात्रा की अधिकता के कारण शुरू से ही कार्यकुशल एवं पात्र कार्मिक को लगाना, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा कि आंकड़ा-आधारित कम्प्यूटर प्रणाली क्रियाशील रहें। इस उद्देश्य से डिजाइन किए गए कम्प्यूटर प्रोग्राम अर्थात् डाटा प्रवि-टी, संसाधन, विश्ले-ाण, निगरानी, सुधार और ट्रांसफर कार्य में दक्षता प्राप्त, कार्यकुशल एवं पात्र कार्मिक को आवश्यकतानुसार करार आधार पर भी कार्य पर रखा जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों का रख-रखाव मंत्रालय में समकक्ष विशे-ाज्ञता प्राप्त कार्मिकों द्वारा ही किया जाएगा, जिन्हें करार आधार पर रखा जा सकता है।

प्रशासनिक और प्रशासन से जुड़े लागतों अर्थात् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और मंत्रालय द्वारा कार्यालय उपकरणों, कम्प्यूटर और सहायक-सामग्रियों, फर्नीचर, आवेदन-प्रपत्र के मुद्रण, विज्ञापनों, कार्मिकों की तैनाती, आदि के व्यय के लिए कुल बजट के अधिकतम 2% का प्रावधान किया जाएगा। इस प्रावधान का उपयोग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लगाए गए बाहर के प्रतिि-ठत संस्थानों/अभिकरणों के माध्यम से योजना के मूल्यांकन और निगरानी कार्य के लिए भी किया जाएगा।

## 13. छात्रवृत्ति का नवीकरण

किसी पाठ्यक्रम के लिए एकबार छात्रवृत्ति प्रदान कर दिए जाने के बाद आगामी शैक्षिणक व-र्/सत्र के लिए उसका नवीकरण किया जा सकेगा, बशर्ते कि विद्यार्थी परीक्षा में 50% अंक अर्जित करने के आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे ।

## 14. योजना की घो-णा

सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्कीम की घो-णा अग्रणीय भा-ा समाचार पत्रों और स्थानीय दैनिकों में विज्ञापन देकर और प्रचार के अन्य उपयुक्त माध्यमों द्वारा यथासमय की जाएगी।

## 15. आवेदन-प्रक्रिया

कम्प्यूटरीकरण प्रणाली द्वारा कार्य करना शुरू किए जाने तक सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा आवेदन-प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। भरे हुए आवेदन-प्रपत्र अपेक्षित प्रमाणपत्रों के साथ नियत समय में पुनः वापिस लिए जाएंगे।

## 16. वित्तीय सहायता का प्रतिमान

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को 100% वित्तीय सहायता दी जाएगी।

## 17. निगरानी और पारदर्शिता

योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राज्य संघ राज्य स्तर पर योजना की वित्तीय और भौतिक कार्य-नि-पादन की निगरानी करेंगे। इस प्रयोजन से सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी तंत्र की व्यवस्था होगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजना की वित्तीय और भौतिक प्रगति से संबंधित तिमाही रिपोर्ट मंत्रालय में प्रस्तुत की जाएगी तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे छात्रों के वर्-ावार ब्यौरे रखे जाएंगे, जिसमें स्कूल/कॉलेज/संस्थान, स्कूल/कॉलेज/संस्थान की स्थान स्थिति, सरकारी है या निजी, कक्षा, लिंग, नया या नवीकरण, स्थायी पता और माता-पिता के पते का उल्लेख होगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर संगतपूर्ण भौतिक एवं वित्तीय ब्यौरों को स्थान देना होगा।

## 18. मूल्यांकन

योजना की वित्तीय और भौतिक कार्य-नि-पादन के निगरानी का मूल्यांकन कार्य उन ख्यातिप्राप्त संस्थानों/अभिकरणों द्वारा कराया जाएगा, जिन्हें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन/प्रभाव अध्ययन के लिए नियत किया गया हो।